राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( )आकाशि / नि.सं. / 274 दिनांक 13/08/2020

सचिव / प्राचार्य
निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषयः– सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के निराकरण बाबत।
संदर्भः– विभाग का संसंख्यक पत्रांक 245 दिनांक 27.5.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में जिन महाविद्यालयों को कमीपूर्ति मानदण्ड पूर्ण नही करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया था, उन महाविद्यालयों को समय–समय पर कमीपूर्ति / शास्ति के अवसर दिये जा चुके है। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक **25.08.2020** तक कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि जमा करवाने का अंतिम एक और अवसर संस्था को प्रदान किया जाता हैं।

सत्र 2017–18 से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017–18 से सत्र 2019–20 तक तीनो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 25.08.2020 तक जमा करवानी होगी।

सत्र 2018–19 से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2018–19 से सत्र 2019–20 तक दो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि अन्तिम दिनांक 25.08.2020 तक जमा करवानी होगी।

महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही निदेशालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि पश्चात आदेश की पालना नही करने वाले अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2020–21 से क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा। **प्रकरण का निस्तारण होने तक महाविद्यालय में नवीन प्रवेश बाधित रहेगें।**

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. रजिस्ट्रार, समस्त सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो द्वारा सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर प्रेषित करें।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)